न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 15.02.2022

1–छीतरलाल पुत्र घासी दरोगा निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
2–काना पुत्र जगन्नाथ दरोगा निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

–अपीलान्टस

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 07.09.2021

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 25.05.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2021 के द्वारा अपीलान्टस को भूमि खसरा नम्बर 179 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा पर अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, लगान का 50 गुना पेनेल्टी कायम करने, पत्थर जब्ती कर नीलाम किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों अपीलांट्स को धारा 91 ले. रे. एक्ट के तहत एक ही संयुक्त नोटिस जारी किया है जो दिनांक 07.09.2021 के लिए जारी किया गया था। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामिल कुनिन्दा ने लिखा है कि एक प्रति भाई ने प्राप्त की। उक्त तामिल व्यक्तिगत तथा सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। दोनों अपीलांट्स में से किसके भाई को नोटिस की प्रति दी गई, किसके सामने तामील करवायी, दो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर भी नहीं है। भाई की तामील की मान्यता नहीं है। साथ ही आदेशिका पर दिनांक 07.09.2021 को छीतरलाल के हस्ताक्षर करवाये गये है तथा अपीलांट सं. 2 काना के हस्ताक्षर नहीं है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। यह भूमि गत 30–40 सालों से अपीलान्ट्स के कब्जा व उपयोग उपभोग में चली आ रही है जिस पर वे शांति पूर्वक काबिज है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

और उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। मौके पर वर्षो से अपीलान्टस के पत्थर पडे हुए है जो निर्माण कार्य हेतु हैं, अपीलान्ट गरीब, भूमिहीन काश्तकार है जिनके पास निवास करने के लिए मकान व बाड़े नहीं है, उनकी उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने की भावना नहीं रही है। रेस्पोडेन्ट ने वास्तविक स्थिति की जांच नहीं करवायी है। अपने निर्णय में अपीलांट को बैरवा जाति के बताये गये है जबकि अपीलान्टस बैरवा न होकर दरोगा है। इस प्रकार उक्त निर्णय विधिसम्मत नहीं हैं। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसे स्वीकार किया जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 निरस्त किया जावें तथा अपीलान्टस के विरूद्ध प्रकरण सं. 241/2021 सरकार बनाम छीतर में की गयी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 समाप्त की जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि नोटिस पर अपीलाण्ट के भाई की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए है तथा अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया हैं। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण हेतु पत्थर एकत्रित किए थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब्त किया गया हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार एवं विधिसम्मत हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है जिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील नहीं हुई है। अपीलांट को जारी नोटिस पर रघुवीर अंकित हैं, रघुवीर का अपीलांटस से क्या संबंध हैं यह स्पष्ट अंकित नहीं हैं जिससे ज्ञात होता हैं कि अपीलांट की विधिवित तामील नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 07.09.2021 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
अति.जिला कलेक्टर,टोक